कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक/6349/आर0डी0एम0/2020 कटनी दिनांक– 23/7/2020 – 06–2020

–:: संशोधित आदेश ::–

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

––00––

कटनी जिले में नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश कमांक 40–3/2020–डीएम–आई(ए) दिनांक 17 मई 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय द्वारा भोपाल के पत्र कमांक 164/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 18 मई 2020 के द्वारा लाकडाउन आदेश की अवधि को दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश कमांक 3874/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 03 मई 2020 से प्रतिबंधात्मक आदेश एवं संधोधित आदेश कमांक 3922/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 05 मई 2020 को जारी किया गया है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र कमांक 40–3/2020–डीएम–आई(ए) दिनांक 30 मई 2020 एवं म0प्र0 शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक 189/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 31 मई 2020 एवं पत्र कमांक 195/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 07.06.2020 के परिपालन में तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management Group) की बैठक दिनांक 08.06.2020 में सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 3874/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 03 मई 2020 एवं आदेश कमांक 4526/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 08.06.2020, 6132/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 15.07.2020 मे उल्लेखित बिंदुओ के पालन के साथ–साथ **पूर्व में जारी कार्यालीन आदेश कमांक 4526/आर डी एम/2020 कटनी** दिनांक 08.06.2020 के कण्डिकाओ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

'अ'

1. समस्त व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियां प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित होंगी।

'ब'

1. रात्रि कालिन कफ्र्यू समय रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 तक प्रभावशील रहेगा।
2. सभी गैर आवश्यक गतिविधियां (शराब दुकानो सहित) सप्ताह के हर शनिवार एवं रविवार को आगामी आदेश पर्यत पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी।

'स' उपरोक्त संचालित सभी गतिविधियां भारत सरकार, राज्य सरकार एवं गृह मंत्रालय, म.प्र. शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करेगी। उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्व आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत् यथास्थिति दाण्डिक एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पृथक से आदेश प्रसारित किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(शशिभूषण सिंह)(IAS)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

क्रमांक/6349/आर0डी0एम0/2020 कटनी दिनांक– 23/7 –2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01:– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन/गृह/स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

02:– कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03:– पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

04:– अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की ओर सूचनार्थ।

05:– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06:– उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

Scanned with CamScanner

07:- तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी/रीठी/बड़वारा/बरही/विजयराघवगढ़/बहोरीबंद/ढीमरखेड़ा/स्लीमनाबाद

08:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09:- आयुक्त नगर पालिक निगम/नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ़ बरही की ओर सूचनार्थ।

10:- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11:- समस्त कार्यालय प्रमुख .... कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12:- जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला -कटनी

Scanned with CamScanner